

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राण

प्रकरण : संख्या - ६६६

शीर्षक..... वनाम.....

सहायक क

कार्यवाही प्रकरण

दिनांक

वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन  
अधिकारी राज काल भ्रमण/अवकाश पर है।  
पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में  
दिनांक... को पेश हो।

24-1-25

वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन  
अधिकारी राज काल भ्रमण/अवकाश पर है।  
पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में  
दिनांक... को पेश हो।

25/1/2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी  
उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 21/12/23 को वादी  
अधिवक्ता द्वारा पत्रावली 022R3, 9 अ.प्र.क.  
प्रकथाप 5 अन्धी अधिनियमखंडा की लक्षणा  
का मूल प्रमाण पत्र मय फाइल में पेश किया  
जाता जो सेवन ले रिकॉर्ड बननी लिया  
जाता जिसे डाक रिकॉर्ड पर लिया जाता है।  
साथ ही दिनांक 16/8/24 को वादी की  
कोर्ट से संशोधित शिर्षक प्रवादी संख्या-  
श्रीमती के काम म.क.क. राणी व कागु की  
कोर्ट अधिवक्ता वादी श्री यावद विदेका  
वसुधाल पत्र पेश होकर शान्त हो दिनांक  
16/8/24 को ही वादी की कोर्ट वादी देखा-3  
मोतीलाल पिंगल शूरा बाजरी का सार्वजनिक  
पत्र पेश हुआ जो सेवन ले दिनांक 16/8/24  
को रिकॉर्ड बननी लिया जाते हैं।  
रिकॉर्ड पर लिया जाता है। उपरोक्त पत्र  
पर डाक वादी अधिवक्ता ने मुख्य पौरख  
में दस्तावेज उदाहरित करवाने पर

म

कार्यवाही प्रकरण

हस्ताक्षर/  
सूचना नं.

गवाह के बयान क लम्बे बह विवे गये गवाह  
 मांगीलाल P.W-1 के शपथ पत्र एवं बयान  
 गवाह शांभा विवे गए। प्राप्ति/वादी की  
 ओर से प्रस्तुत प्राप्ति पत्र 022 R 3, 9 का प्रक  
 स्वीकार किया जाता है। सशौ. प्रिन्सिपल के  
 पर रखा जाता है। प्राप्ति लेख्या- 16, 20,  
 22, 23 की तामील हेतु वादी द्वारा P.W. 3  
 3/23 के पत्र विवे गए। ~~का निमित्त सम्भव~~  
 काद तामील प्राप्त हुए जो शांभा हैं। सम्मन  
 के डकलोकन के लिए काद. वि. प्रा. - 16, 20 व  
 22 की तामील हो चुकी है। प्राप्ति लेख्या  
 23 की तामील शेष है। वादी क्षति ने जाहिर  
 किया कि प्राप्ति 23 पामिल बखशा है। इसके  
 बिलकु कोई इतलेश नहीं पाया गया है। प्राप्ति  
 23 की ओर से पेशना करकार उपस्थित  
 होने से तामील मानी जाती है। प्राप्ति 23  
 पामिल पक्षकार होने से जवाब को पेशित  
 नहीं है। प्रकरण में वादी लास्य से गवाह  
 मांगीलाल का शपथ पत्र पेश लेना काद  
 गवाह के बयान एवं हो चुके है। वादी को  
 को कोई लास्य पेश करना नहीं चाहिए  
 है। प्रकरण में प्राप्ति लेख्या  
 16, 20, 23 की ओर से वाक्युद तामील  
 कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। इसके बिलकु  
 एक पक्षीय कार्यालय के आदेश दिये जाते हैं।  
 प्रकरण में प्रा. 1 से 23 के बिलकु ए. प्रिन्सिपल  
 आदेश हो जाते हैं। प्रकरण वादी की ओर  
 से एक पक्षीय बखशा हेतु निष्पत्त किया जाता है।  
 पञ्च दिनांक 6/6/25 को वाक्युद पेश है।



सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सहा

प्रकरण : संख्या - ..... शीर्षक ..... बनाम .....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
06.06.25	पत्रांक पीएच ६६६ आदेश
	वादी उपा परिवारविभाग के निवासी
	कार्यवाही एकपक्षीय है वादीवश
	आधिकार की वजह कुली नहीं
	पत्रांक वाद स्वीकार किया जाकर
	निपट्टा नियंत्रण / आदेश प्रस्तुत है
	लिखवाया जाकर शर्त नष्ट किया गया
	पत्रांकली मंडल २५५८ दीक्षा प्रस्तुत
	रिपोर्ट की है।